**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं०-07 बरेली**

परिवाद सं०- 3032 / 2019

एच०डी०एफ०सी० बैंक बनाम भगवती कम्बोज

थाना- कोतवाली, बरेली

**दिनांक- 17.02.2021**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

परिवादी की ओर से जरिए अधिवक्ता इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी कम्पनी एवं विपक्षी के मध्य समझौता हो गया है जिस कारण वादी उपरोक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी का उपरोक्त वाद निस्तारित किये जाने की याचना की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० नियत थी। इस स्तर पर परिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी कम्पनी एवं विपक्षी के मध्य समझौता हो गया है जिस कारण वादी उपरोक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। परिवादी द्वारा परिवाद में साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० प्रस्तुत न करते हुए परिवाद पर बल न दिये जाने के आधार पर प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा- 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत खारिज होने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थी / परिवादी एच०डी०एफ०सी० बैंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा- 203 दं०प्र०सं० के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या- 07 , बरेली